बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–12 वि0–192/2024 - 1693

प्रेषक,

दया शंकर प्रसाद,
मुख्य अभियंता (रूपांकण)।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 4.11.26

विषयः–विभिन्न विभागों एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों से प्राप्त डिबार आदेश/निबंधन रद्द करने/कालीकृत करने/मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंगः–कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा के कार्यालय आदेश सं0–287 सह–पठित–ज्ञापांक–4558 दि0–15.10.26, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व, भागलपुर के कार्यालय आदेश संख्या–129 सहपठित–ज्ञापांक–3783 दि0–21.10.26, कार्यालय आदेश संख्या–128 सह–पठित–ज्ञापांक–3782 दि0–21.10.26, कार्यालय आदेश संख्या–127 सहपठित–ज्ञापांक–3780 दि0–21.10.26, पथ निर्माण विभाग, के आदेश ज्ञापांक–7074(E) दि0–06.10.2026, आदेश ज्ञापांक–7075(E) दि0–06.10.2026, जल संसाधन विभाग के आदेश ज्ञापांक–5769 दि0–01.10.2026, ग्रामीण कार्य विभाग, के आदेश ज्ञापांक–13226 दि0–15.10.2026, आदेश ज्ञापांक–12838 दि0–07.10.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय आदेश/पत्र, जो विभाग को प्राप्त है, की छायाप्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन
3/11/26.
(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पत्रांक–12वि0–192/2024– 1693 दिनांक– 4.11.26

प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/11/26.
(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पत्रांक–12वि0–192/2024– 1693 दिनांक– 4.11.26

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं निदेश है कि विभागीय साईट पर **Upload** करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनु0–यथोपरि।

3/11/26.
(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।

E-mail–eepheddarbhanga@gmail.com ☎ 06272-220256



कार्यालय आदेश सं0 ....287.... / दिनांक ..15/10/26./

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना "हर घर नल का जल" के तहत संवेदक श्री फूल कुमार झा, ग्राम–डरहार, जिला–दरभंगा (बिहार) एकरारनामा सं0–SBD-43/2019-20 के तहत प्रखंड बहादुरपुर अन्तर्गत उघरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य आवंटित है। उक्त जलापूर्ति योजना का मोटर खराब हो जाने के कारण योजना बंद है। संवेदक द्वारा मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य एवं पम्प चालक के मानदेय का भुगतान नहीं किये जाने के कारण आम जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। संवेदक को बार–बार स्मारित करने के बावजूद भी मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य नहीं की गई है। जिसके फलस्वरूप सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, लहेरियासराय का पत्रांक–820, दिनांक–15.10.2026 के द्वारा डिबार एवं विखंडन करने की अनुशसां की गई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप कार्यों का निष्पादन में चुक के लिए सम्यक विचारोपरांत बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-II (क) की उप कंडिका-II तथा सामान्य निदेश की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में संवेदक/एजेन्सी श्री फूल कुमार झा, ग्राम–डरहार, जिला–दरभंगा (बिहार) (सूचीबद्धता संख्या–1584/2019) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि संवेदक द्वारा पत्र निर्गत के 24 घंटा के अन्दर जलापूर्ति योजना को मरम्मति कराकर जलापूर्ति बहाल नहीं की जाती है, तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात कर ली जाएगी तथा सूचीबद्धता संख्या को काली सूची में दर्ज करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जाएगी। जिसके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Ranjan 15.10.26

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।

ज्ञापांक ....4558.... दिनांक 15/10/26

प्रतिलिपि :– श्री फूल कुमार झा, ग्राम–डरहार, जिला–दरभंगा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

Ranjan 15/10/26

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।

ज्ञापांक ....4558.... दिनांक 15/10/26

प्रतिलिपि :– सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लहेरियासराय/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बहादुरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ranjan 15/10/26

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।

2329
2831

ज्ञापांक 4558 दिनांक 15/10/26.

प्रतिलिपि :– सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना/ग्रामीण कार्य विभाग (प्रमंडल–पश्चिमी/पूर्वी), दरभंगा/भवन निर्माण विभाग, दरभंगा/नगर विकास एवं आवास विभाग, दरभंगा/लघु जल संसाधन विभाग, दरभंगा/पथ निर्माण विभाग, दरभंगा/बुडको, दरभंगा/LAEO दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

Ranjan 15/10/26

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।

ज्ञापांक 4558 दिनांक 15/10/26 15/10/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ सादर समर्पित।

Ranjan 15/10/26

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।

ज्ञापांक 4558 दिनांक 15/10/26 15/10/26

प्रतिलिपि :–मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ सादर समर्पित।

Ranjan 15/10/26

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।

ज्ञापांक 4558 दिनांक 15/10/26 15/10/26

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ सादर समर्पित।

Ranjan 15/10/26

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।
15/10/26

2226

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व, भागलपुर।

कार्यालय आदेश संख्याः– 123 / भागलपुर दिनांक :– 21-10- 2026 /

See-12

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना "हर घर नल का जल" योजना के तहत संवेदक/एजेंसी Harbauer India (P) Ltd., Actopolis Building, Office No.-16, 7th Floor 1858, Rajdanga Main Road, Kolkata-700107 को एकरारनामा संख्या– SBD-38/2019-20 के तहत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में "हर घर नल का जल" योजनान्तर्गत प्रखण्ड–नारायणपुर, पंचायत–बैकुंठपुर दुधैला के वार्ड संख्या–01 एवं 06 में जलापूर्ति योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षो तक परिचालन तथा रख–रखाव का कार्य आवंटित था। परन्तु योजना में कई त्रुटियों एवं सुचारू रूप से संचालन नहीं होने के कारण इस कार्यालय का पत्रांक–100, दिनांक–18.03.2025, पत्रांक–2205, दिनांक–03.10.2023, पत्रांक–2073, दिनांक–12.09.2023, पत्रांक–751, दिनांक–01.04.2023 एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, नारायणपुर का पत्रांक–109, दिनांक–06.04.2023 पत्रांक–99, दिनांक–24.03.2023 तथा सहायक अभियन्ता/कनीय अभियन्ता द्वारा अनेकों बार मौखिक/लिखित रूप से स्मारित किया गया। साथ ही निदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में डिबार करने एवं अन्य कार्रवाई किये जाने के संबंध में चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद भी अबतक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि संवेदक द्वारा कार्य में किसी भी तरह की अभिरूचि नहीं ली जा रही है, जिससे आम नागरिक में काफ़ी आक्रोश है एवं विभागीय छवि धूमिल हो रही है तथा एकरारनामा के शर्तों का सरासर उल्लंघन है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोंपरांत एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधानों एवं एकरारनामा के कंडिका 14 में निहित प्रावधानों के तहत् संवेदक/एजेंसी Harbauer India (P) Ltd., Actopolis Building, Office No.-16, 7th Floor 1858, Rajdanga Main Road, Kolkata-700107 (सूचीबद्धता संख्या– 410/2018) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि दो दिनों के अंदर उक्त त्रुटियों का निष्पादन एवं योजना का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात् कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

21/10/26
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व.
भागलपुर।
21-10-26

22 OCT 2026
कार्यालय प्रमुख–सह–विशेष सचिव
बिहार, पटना

6866
26.10.26

ज्ञापांक :– 3783 / हि0 भागलपुर, दिनांक :– 21-10- 2026 /

प्रतिलिपिः–संवेदक/एजेंसी Harbauer India (P) Ltd., Actopolis Building, Office No.-16, 7th Floor 1858, Rajdanga Main Road, Kolkata-700107 को सूचनार्थ प्रेषित।

21/10/26
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व.
भागलपुर।
21-10-26

2335

ज्ञापांक :3783/ हि0 भागलपुर, दिनांक :21-10-2026/

प्रतिलिपिः–कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, नारायणपुर/सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नारायणपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है संबंधित एजेंसी/संवेदक से सम्पर्क स्थापित कर यथाशिघ्र योजना को चालू कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,
भागलपुर।
21-10-26

ज्ञापांक :3783/ हि0 भागलपुर, दिनांक :21-10-2026/

प्रतिलिपिः–प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/रोकड़पाल/विपत्र लिपिक, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,
भागलपुर।
21-10-26

ज्ञापांक :3783/ हि0 भागलपुर, दिनांक :21-10-2026/

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,
भागलपुर।
21-10-26

ज्ञापांक :3783/ हि0 भागलपुर, दिनांक :21-10-2026/

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,
भागलपुर।
21-10-26

2334

See-12

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व, भागलपुर।

कार्यालय आदेश संख्याः– 128 / भागलपुर दिनांक :21-10– 2026 /

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना "हर घर नल का जल" योजना के तहत संवेदक/एजेंसी Harbauer (P) Ltd., Actopolis Building, Office No.-16, 7th Floor 1858, Rajdanga Main Road, Kolkata-700107 को एकरारनामा संख्या– SBO-39/2019-20 के तहत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में "हर घर नल का जल" योजनान्तर्गत प्रखण्ड–नारायणपुर, पंचायत–बैकठपुर दुधैला के वार्ड संख्या– 9(P1) एवं 9(P2) में जलापूर्ति योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षो तक परिचालन तथा रख–रखाव का कार्य आवंटित था। परन्तु योजना में कई त्रुटियों एवं सुचारू रूप से संचालन नहीं होने के कारण इस कार्यालय का पत्रांक–833, दिनांक–06.03.2026, पत्रांक–100, दिनांक–18.03.2025, पत्रांक–2205, दिनांक–03.10.2023, पत्रांक–2073, दिनांक–12.09.2023, पत्रांक–751, दिनांक–01.04.2023 एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, नारायणपुर का पत्रांक–109, दिनांक–06.04.2023 पत्रांक–99, दिनांक–24.03.2023 तथा सहायक अभियन्ता/कनीय अभियन्ता द्वारा अनेकों बार मौखिक/लिखित रूप से स्मारित किया गया। साथ ही इस कार्यालय के पत्रांक–833, दिनांक–06.03.2026 द्वारा उक्त योजना का संचालन सुचारू रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही निदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में डिबार करने एवं अन्य कार्रवाई किये जाने के संबंध में चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद भी अबतक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि संवेदक द्वारा कार्य में किसी भी तरह की अभिरूचि नहीं ली जा रही है, जिससे आम नागरिक में काफी आक्रोश है एवं विभागीय छवि धूमिल हो रही है तथा एकरारनामा के शर्तों का सरासर उल्लंघन है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोंपरांत एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधानों एवं एकरारनामा के कंडिका 14 में निहित प्रावधानों के तहत् संवेदक/एजेंसी Harbauer India (P) Ltd., Actopolis Building, Office No.-16, 7th Floor 1858, Rajdanga Main Road, Kolkata-700107 (सूचीबद्धता संख्या– 410/2018) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि दो दिनों के अंदर उक्त त्रुटियों का निष्पादन एवं योजना का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात् कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,
भागलपुर।
21-10-26

ज्ञापांक :3782 / दि0 भागलपुर, दिनांक :21-10– 2026 /

प्रतिलिपि-संवेदक/एजेंसी Harbauer India (P) Ltd., Actopolis Building, Office No.-16, 7th Floor 1858, Rajdanga Main Road, Kolkata-700107 को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,
भागलपुर।
21-10-26

पृष्ठ-6867
26.10.26

2334

ज्ञापांक :3782 / हि0 भागलपुर, दिनांक :21-10-2026/
प्रतिलिपिः-कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, नारायणपुर/सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नारायणपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है संबंधित एजेंसी/संवेदक से सम्पर्क स्थापित कर यथाशिध्र योजना को चालू कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता 21/10/26
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,
भागलपुर।
21-10-26

ज्ञापांक :3782 / हि0 भागलपुर, दिनांक :21-10-2026/
प्रतिलिपिः-प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/रोकड़पाल/विपत्र लिपिक, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता 21/10/26
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,
भागलपुर।
21-10-26

ज्ञापांक :3782 / हि0 भागलपुर, दिनांक :21-10-2026/
प्रतिलिपिः-अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता 21/10/26
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,
भागलपुर।
21-10-26

ज्ञापांक :3782 / हि0 भागलपुर, दिनांक :21-10-2026/
प्रतिलिपिः-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता 21/10/26
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व
भागलपुर।
21-10-26

2312

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व, भागलपुर।

कार्यालय आदेश संख्याः–127 / भागलपुर दिनांक :21-10-2026 /

इस प्रमण्डलान्तर्गत संवेदक, M/s Shakti Infradesigner & Developer Pvt. Ltd., Add–Bl. Housing Colony, Kankar Bagh, पटना को मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय "हर घर नल का जल" योजना के तहत इस कार्यालय के एकरारनामा संख्या–SBD-150/2019-20 द्वारा प्रखण्ड–बिहपुर, पंचायत– लत्तीपुर उत्तर के वार्ड सं0–1,2,3 एवं 5 के गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में जलापूर्ति योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों तक परिचालन एवं रख–रखाव का कार्य आवंटित है। दिनांक–09.09.2026 को सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, नारायणपुर द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरांत पाया गया कि वार्ड सं0–1,2 एवं 3 का योजना बंद है, जिसकी सूचना कई बार आपको मौखिक, पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई है। परन्तु अबतक योजना बंद है। इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 89, सह पठित ज्ञापांक–3394, दिनांक–21.09.2026 द्वारा उक्त योजना को चालू करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही निदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में डिबार करने एवं अन्य कार्रवाई किये जाने के संबंध में चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद भी अबतक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि संवेदक द्वारा कार्य में किसी भी तरह की अभिरूचि नहीं ली जा रही है, जिससे आम नागरिक में काफी आक्रोश है एवं विभागीय छवि धूमिल हो रही है तथा एकरारनामा के शर्तों का सरासर उल्लंघन है।

See-12

22 OCT 2026

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोपरांत एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधानों एवं एकरारनामा के कंडिका 14 में निहित प्रावधानों के तहत् संवेदक/एजेंसी M/s Shakti Infradesigner & Developer Pvt. Ltd., Add–Bl. Housing Colony, Kankar Bagh, पटना(सूचीबद्धता संख्या–231020190231/2019) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि तीन दिनों के अंदर इनके द्वारा योजना को पूर्ण रूप से चालू नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, नारायणपुर के पत्रांक–308, दिनांक–12.10.2026 के अनुशंसा के आलोक में विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात् कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,
भागलपुर।
21-10-26

ज्ञापांक :3780/ हि0 भागलपुर, दिनांक :21-10-2026 /

प्रतिलिपि–संवेदक/एजेंसी M/s Shakti Infradesigner & Developer Pvt. Ltd., Add–Bl. Housing Colony, Kankar Bagh, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,
भागलपुर।
21-10-26

ज्ञापांक :3780/ हि0 भागलपुर, दिनांक :21-10-2026 /

प्रतिलिपि–कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बिहपुर/सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नारायणपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है संबंधित एजेंसी/संवेदक से सम्पर्क स्थापित कर यथाशिघ्र योजना को चालू कराना सुनिश्चित करेंगे।

दि0-6868
26.10.26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,
भागलपुर।
21-10-26

2331/

ज्ञापांक :3780/ हि0 भागलपुर, दिनांक :21-10-2026/

प्रतिलिपिः–प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/रोकड़पाल/विपत्र लिपिक, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/26

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,

भागलपुर।

21-10-26

ज्ञापांक :3780/ हि0 भागलपुर, दिनांक :21-10-2026/

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

21/10/26

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,

भागलपुर।

21-10-26

ज्ञापांक :3780/ हि0 भागलपुर, दिनांक 21-10-2026/

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

21/10/26

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व,

भागलपुर।

21-10-26

6387309/22 (34) सचिव, P.H.E.D.

(233)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
13 OCT 2026
संख्या.....

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश

अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3312 (S)We दिनांक–25.04.2025 से संवेदक R.L.Choudhary Infratech Pvt. Ltd., R.L. Market, Saidnagar, Lohariasarai, Darbhanga, Bihar-846001 (निबंधन सं0–1230047 श्रेणी–01) को पथ प्रमंडल, [illegible] अन्तर्गत महात्मा गाँधी कॉलेज से अलीनगर पी०डब्लू०डी० पथ, खर्गा सहनी चौक, परमेश्वर [illegible] होते हुए बेला दुर्गा मंदिर तक पी०डब्लू०डी० पथ तक पी०टी०सी० चाहर दिवारी के उत्तर वाले रेलवे लाईन तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में 1st कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete Pavement का Compresive Strength 166.828 kg/cm^2 पाया गया है, जो प्रावधान 407.888 kg/cm^2 से कम है। फलस्वरूप संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया।

E.in.c (HQ)
CE(S)
14 OCT 2026

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक–3057(E)We, दिनांक–16.05.2025 एवं पत्रांक–4348(E) दिनांक–04.07.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक–शून्य दिनांक–11.07.2025 से प्रारंभिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन की माँग हेतु अनुरोध पत्र दिया गया। तद्क्रम में विभागीय पत्रांक–5864(E)We, दिनांक–01.09.2025 के द्वारा मामले से संबंधित प्रारंभिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके आलोक में संवेदक द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–25.09.2025 स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। उक्त स्पष्टीकरण को विभागीय पत्रांक–8243(E)We, दिनांक–05.12.2025 द्वारा TTRI को मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु समर्पित किया गया। उक्त निदेश के आलोक में TTRI के पत्रांक–1088 अनु० दिनांक–10.12.2025 द्वारा मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें विषयांकित पथ के 1st कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete Pavement का Compresive Strength प्रावधान (407.888 kg/cm^2) से कम 166.825 kg/cm^2 पाये जाने का उल्लेख है। समीक्षोपरान्त संवेदक के स्पष्टीकरण को तथ्यपरक नहीं पाया गया। तदक्रम में संवेदक R.L.Choudhary Infratech Pvt. Ltd. को विभागीय आदेश सं० 957(E) दिनांक–09.02.2026 से 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

Y-12

संवेदक R.L.Choudhary Infratech Pvt. Ltd. द्वारा दिनांक–23.02.2026 को अभ्यावेदन समर्पित करते हुए कालीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। उक्त अभ्यावेदन पर विचारण हेतु दिनांक–23.06.2026, 10.07.2026 एवं 13.07.2026 को सुनवाई आहुत की गई। संवेदक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर विभागीय आदेश ज्ञा०–5100(E) दिनांक–23.07.2026 द्वारा पथ की पुनः जाँच कराने का आदेश दिया गया।

6887
26.10.26

इसी बीच निदेशानुसार उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–4611 (S)We दिनांक–10.07.2026 से उक्त पथ के Cement Concrete Pavement का Compresive Strength प्रावधान एवं टॉलरेन्स लिमिट की जाँच निकटतम सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय यथा–दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा से कराने हेतु मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया गया। उक्त निदेश के अनुपालन में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ

कृपया०उ०

229

निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2656 अनु० दिनांक– 31.08.2026 द्वारा Department of Civil Engineering, D.C.E, दरभंगा का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार विषयांकित पथ में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य (M-40) का Average Compresive Strength 281.08 kg/cm^2 है, जो MoRTH Clause 903.5.2.2 के आलोक में वांछित Compresive Strength 277.27 kg/cm^2 से अधिक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संवेदक R.L.Choudhary Infratech Pvt. Ltd., R.L. Market, Saidnagar, Laheriasarai, Darbhanga, Bihar-846001 (निबंधन सं0–1230047 श्रेणी–01) (PAN No.-AAHCR1298P) को विभागीय आदेश ज्ञापांक–957(E) दिनांक–09.02.2026 से किए गए कालीकरण से मुक्त किया जाता है।

ह0/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक– प्र०–7/कार्रवाई–05–10/2025– /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– संवेदक R.L.Choudhary Infratech Pvt. Ltd., R.L. Market, Saidnagar, Laheriasarai, Darbhanga, Bihar-846001 E-mail ID-rlchodhary_pvtltd@rediffmail.com, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक – प्र०– 7/कार्रवाई–05–10/2025– नo नि(ई) /पटना, दिनांक 6/10/2026

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

(11)

6387330/26

2128

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
13 OCT 2026
संख्या.....

संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीत पत्र सं०–5941 (S)We दिनांक–04.07.2025 से संवेदक M/s Royal Engineer's. Prop-Chandra Kishore Shahi, At-Gayatri Mandir Road, Akharaghath, Nazirpur, Po-Shekhpura, Muzaffarpur, Bihar (निबंधन सं०–1200030–श्रेणी–01) को पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत हथौड़ी कोठी PWD रोड तक में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete Pavement का Compresive Strength प्रावधान (305.916 kg/cm^2) से कम 190.66 kg/cm^2 पाये जाने के लिए विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक–5570(E)We, दिनांक–21.08.2025, के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक–शून्य दिनांक–03.09.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें संवेदक द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन के साथ–साथ विभागीय मार्गदर्शिका की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तदक्रम में विभागीय पत्रांक–6729(E)We, दिनांक–27.09.2025 द्वारा संवेदक को कतिपय दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिसके आलोक में संवेदक द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–20.10.2025 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के संबंध में विभागीय पत्रांक–543(E)We, दिनांक–22.01.2026 एवं पत्रांक–2157(E) दिनांक–25.03.2026 द्वारा TTRI से मंतव्य प्रतिवेदन की माँग की गई, जिसके आलोक में TTRI के पत्रांक–197 अनु० दिनांक–01.04.2026 उपलब्ध कराया गया, जिसमें अंकित किया गया कि "विभागीय मार्गदर्शिका एवं MoRTH के प्रावधानों के अनुरूप विषयांकित पथ से संग्रहित PQC (M30) के नमूनों का जाँचफल निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता है। तद्नुसार सम्यक विचारोपरान्त सवेदक का स्पष्टीकरण तथ्यपरक नही पाया गया।" तदक्रम में संवेदक M/s Royal Engineer's को विभागीय आदेश सं०–3107(E) दिनांक–11.05.2026 से 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

संवेदक M/s Royal Engineer's द्वारा दिनांक–15.07.2026 को समर्पित अभ्यावेदन के माध्यम से उक्त पथ में कराये गये कार्य के PQC के Compressive Strength की पुनः जाँच कराने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही कालीकरण आदेश पर विचारण हेतु दिनांक–20.05.2026 को अभ्यावेदन भी समर्पित किया गया।

उक्त अभ्यावेदन पर विचारण हेतु दिनांक–21.07.2026 एवं 25.08.2026 को सुनवाई आहुत की गई। इसी बीच निदेशानुसार उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–4611 (S)We दिनांक–10.07.2026 से उक्त पथ के Cement Concrete Pavement का Compresive Strength प्रावधान एवं टॉलरेन्स लिमिट की जाँच निकटतम सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय यथा–दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा से कराने हेतु मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया गया। उक्त निदेश के अनुपालन में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ

2324

निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2656 अनु० दिनांक– 31.08.2026 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित पथ में कराये गये PQC का Average Compresive Strength 213.91 kg/cm^2 है, जो MoRTH Clause 903.5.2.2 के आलोक में वांछित Compresive Strength 207.95 kg/cm^2 से अधिक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर M/s Royal Engineer's, Prop-Chandra Kishore Shahi, At- Gayatri Mandir Road, Akharaghath, Nazirpur, Po-Shekhpura, Muzaffarpur, Bihar (निबंधन सं0–1200030 श्रेणी–01) (PAN No.-ANVPS8730R) को विभागीय आदेश ज्ञापांक–3107(E) दिनांक–11.05.2026 से किए गए कालीकरण से मुक्त किया जाता है।

ह0/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक– प्र०–7/कार्रवाई–05–31/2025– /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– संवेदक M/s Royal Engineer's, Prop-Chandra Kishore Shahi, At-Gayatri Mandir Road, Akharaghath, Nazirpur, Po-Shekhpura, Muzaffarpur, Bihar, Pin-842002, E-mail ID-adityaprakash625@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक– प्र०– 7/कार्रवाई–05–31/2025– 3078(E) /पटना, दिनांक 6/10/2026

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

पत्र संख्या–26 / विविध–01–13 / 2026

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर के अंतर्गत बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कि0मी0 58.00 कि0मी0 से 59.20 कि0मी0 के सामने ग्राम गंगापुर भुसौला नन्दपुर तथा दामोदरपुर (जवईनिया) के समीप गंगा नदी के दायें तट पर (Agenda No-244/38/2026) एकरारनामा सं0–01SBD/2026-27 दिनांक–02.05.2026 के तहत कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–1955 दिनांक–21.05.2026 द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2815 दिनांक–26.05.2026 द्वारा संवेदक मेसर्स सिंधुजा इंजीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, गया, बिहार से कारण–पृच्छा की गयी। उक्त के आलोक में संवेदक से प्राप्त कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा बाढ़ मो0 से करायी गयी। समीक्षोपरांत विभागीय आदेश संख्या–3153 दिनांक–08.06.2026 द्वारा संवेदक को डिफाल्टर घोषित करते हुए कार्य के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित / डिबार किया गया।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–3412 दिनांक–21.08.2026 द्वारा उक्त कार्य दिनांक–14.08.2026 को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप पूर्ण होने की सूचना के साथ संवेदक को डिबार से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी। तदोपरांत मामले की समीक्षा बाढ़ (मो0) से करायी गयी।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में संवेदक मेसर्स सिंधुजा इंजीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रो0–रिभा शर्मा, ग्राम+पो0–मऊ, टेकारी, गया, बिहार, पिन कोड–824235 (निबंधन सं0–WRD180126C1PR102016, श्रेणी–प्रथम) को आदेश ज्ञापांक–3153 दिनांक–08.06.2026 द्वारा किये गये डिबार से मुक्त किया जाता हैं।

ह0 / –
(ब्रजेश मोहन
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक : 26 / विविध–01–13 / 2026 पटना / दिनांक :

प्रतिलिपि:– मेसर्स सिंधुजा इंजीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रो0–रिभा शर्मा, ग्राम+पो0–मऊ, टेकारी, गया, बिहार, पिन कोड–824235 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:– 26 / विविध–01–13 / 2026 5769 पटना, दिनांक : 01.10.26

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

6413785/26

225

बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कालीकृत अपील वाद संख्याः--23 / 2026

	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या-425/2026 (Rina Singh Vs. The State of Bihar & Ors.) में दिनांक 11.03.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में।
आदेश की तिथि	आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार

01.10.2026
12.10.2026
16 OCT 2026

अभ्यु

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या-425/2026 में दिनांक 11.03.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः--

"5. The subject-matter of the appeal was confined onlyto Tender No. 140471. However, the appellate authority while passing the impugned order, proceeded to cancel the Letter of Acceptance in respect of Tender No. 142157, which was not the subject-matter of the appeal. Thus, the appellate authority has clearly exceeded its jurisdiction.

6. In view of the above, order dated 12.12.2025 issued vide Memo No. 12629 dated 16.12.2025 is set aside and the matter is remitted back to the appellate authority to reconsider the case of the petitioner on the grounds referred to hereinabove.

7. With the aforesaid observation and direction, the present application stands disposed of. The appellate authority shall consider and dispose of the matter at the earliest, preferably within a period of eight weeks from the date of filing of any application for reconsideration by the petitioner.

8. Pending application(s), if any, shall stand disposed of."

E.in-C (HQ)
SE, Ali Haider

कार्यालय पत्रांक-सह-विशेष सचिव
21 OCT 2026
बिहार, पटना

उपर्युक्त न्यायादेश द्वारा अपीलीय प्राधिकार के पूर्व आदेश दिनांक 12.12.2025 संदर्भित ज्ञापांक 12629 दिनांक 16.12.2025 को निरस्त करते हुए मामले को पुनर्विचारार्थ अपीलीय प्राधिकार को रिमांड किया गया है।

उक्त न्यायादेश के अनुपालन में दिनांक 01.10.2026 को मामले की पुनः सुनवाई की गई। निर्धारित तिथि को आवेदिका Rina Singh सुनवाई में उपस्थित रहीं। विभागीय पक्ष की ओर से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित हुए। उभय पक्ष को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि आवेदिका वर्तमान अपीलीय सुनवाई में उपस्थित रहीं, तथा उनके द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। लिखित अभ्यावेदन में याचिकाकर्त्ता द्वारा अन्य सदृश्य मामलों के आधार पर कालीकरण की अवधि को घटाने का अनुरोध किया गया है।

वर्तमान अपील का पुनर्विचार आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन, पूर्व से उपलब्ध अपील अभ्यावेदन, मूल विभागीय अभिलेख, संबंधित निविदा दस्तावेज,

पूर्व में उद्धृत आदेशों तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों के स्वतंत्र परीक्षण के आधार पर किया जा रहा है।

वर्तमान अपील अभियंता प्रमुख–सह–निबंधन प्राधिकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार द्वारा पारित सकारण आदेश–सह–पठित ज्ञापांक–10038 दिनांक–18.09.2025 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा आवेदिका के निबंधन सं०–1230180 को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका 11(क)(ix) सहपठित कंडिका 11(ख)(ii) के अंतर्गत दो वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

अभिलेख से परिलक्षित होता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन संबंधित योजना हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। आवेदिका द्वारा निविदा में भाग लेते हुए अपेक्षित दस्तावेज अपलोड/समर्पित किए गए तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में शपथ–पत्र भी समर्पित किया गया।

तकनीकी बिड के मूल्यांकन के क्रम में निविदा में इनके द्वारा अपलोड किये गये कागजात की समीक्षा की गई। इनके द्वारा समर्पित समरूप कार्य अनुभव संबंधित संलग्न कागजात में MIS एवं कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि इनके द्वारा संलग्न किया गया कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र जाली है, जिस कारण आवेदिका को तकनीकी बिड में अयोग्य घोषित किया गया। तत्पश्चात आवेदिका के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते हुए पत्रांक–9411 दिनांक– 01.09.2025 द्वारा कारण–पृच्छा की गई। विभाग द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर आवेदिका ने दिनांक 12.09.2025 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए बताया गया कि उनकी अनुपस्थिति में उनके यहाँ कार्यरत निजी कर्मचारी द्वारा गलत अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर निविदा डाल दिया गया। फलतः अभियंता प्रमुख–सह–निबंधन प्राधिकार द्वारा ज्ञापांक–10038 दिनांक–18.09.2025 के द्वारा आवेदिका को दो वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने का दंड अधिरोपित किया गया।

उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदिका द्वारा दिनांक–12.11.2025 को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन दायर किया गया। आवेदिका द्वारा दिनांक 12.11.2025 को दिए अपील अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया कि वे अपना स्पष्टीकरण सही तरीके से समर्पित नहीं कर सकीं तथा उन्हें सुनवाई का मौका प्रदान नहीं किया गया। साथ ही, आवेदिका द्वारा अन्य निविदा Tender ID-142157 से वंचित न किए जाने का अनुरोध करते हुए प्रासंगिक कालीकरण आदेश को रद्द करने अथवा रोक लगाने का अनुरोध किया गया। अपील की सुनवाई दिनांक 12.12.2025 को की गई, जिसमें याचिकाकर्ता/संवेदक अनुपस्थित रहीं। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अपील काल बाधित होने के कारण अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–12.12.2025 को अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया गया तथा निदेशित किया गया कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया का पत्रांक 2722 दिनांक 18.09.2025 द्वारा संवेदक के पक्ष में निर्गत कार्यादेश (LOA) को निरस्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई

की जाए।

उक्त आदेश को आवेदिका द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी०डब्लु०जे०सी० संख्या-425/2026 के माध्यम से चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–11.03.2026 को पूर्व अपीलीय आदेश निरस्त करते हुए मामले को पुनर्विचारार्थ रिमांड किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक 27.05.2026 को सुनवाई की गई जिसमें याचिकाकर्त्ता उपस्थित रहीं। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश द्वारा दिनांक 12.12.2025 संदर्भित ज्ञापांक 12629 दिनांक 16.12.2025 को पारित आदेश को निरस्त(Set Aside) किये जाने के आलोक में उक्त न्यायादेश के अनुपालन में सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक 27.05.2026 को आदेश पारित किया गया जिसका महत्वपूर्ण अंश निम्नवत् है:–

"कार्यादेश(LOA) के बिंदु पर अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश को इस हद तक विलोपित किया जाता है। जहां तक अपीलार्थी के द्वारा समर्पित अपील के Grounds पर सुनवाई का प्रश्न है, अपीलार्थी के अपील अभ्यावेदन पर बिंदुवार प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज से प्राप्त करें।"

तदोपरांत आवेदिका की सुनवाई पुनः दिनांक 01.10.2026 को की गई जिसमें आवेदिका उपस्थित रहीं तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। तथापि, आवेदिका द्वारा ऐसा कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे विवादित अनुभव प्रमाण–पत्र के विरूद्ध प्राप्त प्रतिवेदन का खंडन किया जा सके। वर्तमान अपील में मुख्यतः यह विचारणीय है कि–

(क) क्या विवादित अनुभव प्रमाण–पत्र अप्रमाणिक/जाली पाया जाना अभिलेखीय सामग्री से स्थापित होता है।

(ख) क्या उक्त कृत्य बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के अंतर्गत कालीकरण की कार्रवाई को आकर्षित करता है।

(ग) क्या अन्य मामलों में प्रदान की गई रियायत के आधार पर आवेदिका समान रियायत की अधिकारी हैं।

(घ) क्या वर्तमान मामले में दो वर्षों का कालीकरण प्रमाणित कदाचार की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुरूप समानुपातिक है।

वर्तमान मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विवादित अनुभव प्रमाण–पत्र कोई वैकल्पिक अथवा सहायक दस्तावेज नहीं था। संबंधित निविदा के लिए लागू Government of Bihar, Rural Works Department के Combined Model Bidding Document (CMBD), June 2025 के ITB Clause 24.2 – "Evaluation and Comparison of Bids" में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि *"substantially responsive bid is one that fulfills the following mandatory requirements of the Bidding Document"* उक्त *Mandatory Requirements* की सूची में क्रमांक–2 पर "Similar Work Experience Certificate" स्पष्ट रूप से अंकित है, जिसका संदर्भ Clause 4.4A(c) से है।

अतः Similar Work Experience Certificate संबंधित निविदा में निविदाकार की तकनीकी योग्यता एवं उसके Bid की Responsiveness निर्धारित करने वाला अनिवार्य दस्तावेज (Mandatory Document) है। यदि कोई दस्तावेज निविदा की तकनीकी पात्रता निर्धारित करने हेतु स्वयं CMBD द्वारा अनिवार्य घोषित किया गया हो, तो उसकी सत्यता एवं प्रामाणिकता निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया के मूल में निहित होती है। ऐसे दस्तावेज की अप्रामाणिकता को सामान्य तकनीकी त्रुटि अथवा प्रक्रियात्मक कमी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

अभिलेख से स्थापित है कि आवेदिका द्वारा उपर्युक्त अनिवार्य अनुभव प्रमाण--पत्र अपलोड किया गया था तथा संबंधित निर्गतकर्ता कार्यालय द्वारा सत्यापन के क्रम में स्पष्ट किया गया कि ऐसा प्रमाण–पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है। वर्त्तमान सुनवाई के दौरान आवेदिका द्वारा यह पक्ष भी लिया गया है कि निविदा से संबंधित दस्तावेज निजी कर्मचारी के माध्यम से अपलोड किए गए थे। इस तर्क पर विचार किया गया। निविदा में कौन–सा दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है और वह सही एवं प्रामाणिक है अथवा नहीं, इसकी जिम्मेदारी निविदाकार की है। अन्य माध्यम से दस्तावेज अपलोड कराना आवेदिका द्वारा अपनी सुविधा के लिए अपनाई गई व्यवस्था थी। मात्र इस आधार पर आवेदिका अपने Bid में प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकती।

यह तथ्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आवेदिका द्वारा स्वयं निविदा में प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में शपथ–पत्र (Affidavit) दिया गया था। जब निविदाकार अपने दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि शपथ--पत्र द्वारा करता है, तब बाद में केवल यह कहना कि दस्तावेज निजी कर्मचारी के माध्यम से अपलोड हुए थे, उस शपथ–पत्र के प्रभाव को समाप्त नहीं करता। यदि कोई दस्तावेज आवेदिका की Bid के समर्थन में प्रस्तुत हुआ है और उसकी सत्यता की पुष्टि आवेदिका द्वारा शपथ–पत्र में की गई है, तो उस दस्तावेज के लिए उत्तरदायी निविदाकार स्वयं हैं। फर्जी प्रमाण–पत्र समर्पित करने के कारण निविदा की प्रक्रिया अवैध तथा दोषपूर्ण हो जाती है, जो कि जनहित के कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका 11(क)(ix) जाली/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने से संबंधित कदाचार को समाहित करती है तथा कंडिका 11(ख)(ii) के अधीन ऐसे कृत्य के लिए कालीकरण की कार्रवाई की जा सकती है।

अतः संबंधित निर्गतकर्ता कार्यालय के प्रतिवेदन, आवेदिका को दिए गए अवसरों, दस्तावेज की प्रामाणिकता स्थापित करने वाली किसी विश्वसनीय सामग्री के अभाव तथा CMBD में उक्त प्रमाण--पत्र की अनिवार्य प्रकृति के संयुक्त परीक्षण से यह पाया जाता है कि विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही के प्रयोजनार्थ आवेदिका के विरुद्ध आरोप अभिलेखीय सामग्री से प्रमाणित है और नियमावली के अंतर्गत कालीकरण की कार्रवाई को आकर्षित करता है।

वर्त्तमान सुनवाई के दौरान आवेदिका द्वारा पूर्व के सदृश्य मामलों का

उल्लेख करते हुए रियायत प्रदान करने तथा कालीकरण की अवधि को कम करने का अनुरोध किया गया है। उक्त परीक्षण सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–425/2026 के अंतर्गत पारित आदेश, सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–5036/2026 (अन्य सदृश्य मामला) में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश, तथा Lucknow Kshetriya Gramin Bank & Anr Vs. Rajendra Singh में पारित न्यायादेश के आलोक में किया गया है। Lucknow Kshetriya Gramin Bank & Anr Vs. Rajendra Singh में पारित न्यायादेश में प्रतिपादित सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि आरोप प्रमाणित पाए जाने की स्थिति में दंड की प्रकृति एवं मात्रा का निर्धारण मूलतः सक्षम विभागीय प्राधिकार के अधिकार–क्षेत्र का विषय है। साथ ही, किसी अन्य व्यक्ति को कम दंड दिए जाने के आधार पर parity का दावा मात्र आरोपों की सामान्य समानता के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए संबंधित व्यक्ति एवं कम दंड प्राप्त व्यक्ति का co-delinquent होना तथा दोनों के बीच आरोप की प्रकृति के साथ–साथ subsequent conduct में भी complete parity होना आवश्यक है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय Lucknow Kshetriya Gramin Bank & Anr Vs. Rajendra Singh में पारित न्यायादेश के कंडिका 17 में माननीय न्यायालय द्वारा दंड के तुलना को निम्नवत् स्पष्ट किया गया है:– "It is made clear that such a comparison is permissible only when the other employee(s) who is given lighter punishment was co-delinquent. Such a comparison is not permissible by citing the cases of other employees, as precedents, in all together different departmental enquiries."

वर्तमान मामले में आवेदिका तथा पूर्व में उद्धृत अन्य संवेदकों के मामले अलग–अलग निविदाओं एवं स्वतंत्र कार्यवाहियों से संबंधित है। उक्त संवेदक वर्तमान आवेदिका के साथ किसी एक संयुक्त कार्यवाही के co-delinquents नहीं हैं। फलतः Lucknow Kshetriya Gramin Bank & Anr Vs. Rajendra Singh में पारित न्यायादेश में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार उन स्वतंत्र मामलों में दिए गए कम दंड अथवा रियायत को वर्तमान मामले में स्वतः बाध्यकारी precedent के रूप में लागू नहीं किया जा सकता हैं।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि पूर्व के कुछ मामलों में रियायत प्रदान किए जाने के पश्चात फर्जी/गलत दस्तावेज अपलोड किए जाने के मामलों में संबंधित संवेदकों द्वारा यह स्पष्टीकरण दिए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है कि साइबर कैफे अथवा अन्य माध्यम से दस्तावेज गलती से अपलोड हो गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत लगभग डेढ़ वर्ष में अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कालीकरण (Blacklisting) से संबंधित लगभग 49 मामले सुनवाई हेतु आए, जिनमें से 46 मामले जाली/फर्जी दस्तावेज से संबंधित थे। यह संख्या दर्शाती है कि निविदा प्रक्रिया में गलत अथवा अप्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के मामले गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में अत्यधिक उदार दृष्टिकोण अपनाए जाने से निविदा प्रक्रिया में आवश्यक अनुशासन,

पारदर्शिता एवं दस्तावेजों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

इन 46 मामलों में से 31 मामलों में यह पक्ष लिया गया कि गलत दस्तावेज Cyber Cafe कर्मचारी, ऑपरेटर अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपलोड कर दिया गया था। इन 31 मामलों में भी अपीलीय प्राधिकार द्वारा केवल इस आधार पर समान रूप से राहत नहीं दी गई। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 14 मामलों में दंड कम किया गया, जबकि 17 मामलों में 02 वर्ष कालीकरण के मूल दंड को यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई। अर्थात ऐसे मामलों में राहत दिए जाने की अपेक्षा दंड बरकरार रखने वाले मामलों की संख्या अधिक रही है।

अतः पूर्व मामलों के आँकड़ों से भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता हैं कि Cyber Cafe अथवा अन्य व्यक्ति का आधार लेने वाले संवेदकों को सामान्यतः राहत दी गई है। इसके विपरीत, ऐसे मामलों जिनमें अपील निरस्त की गई है उनकी संख्या अधिक है। वर्तमान मामले की गंभीरता, affidavit तथा Mandatory Document की प्रकृति को देखते हुए पूर्व मामलों के आधार पर दंड में कमी का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

वर्तमान मामला किसी सामान्य तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि का मामला नहीं है। CMBD के ITB Clause 24.2 में Similar Work Experience Certificate को स्पष्ट रूप से Mandatory Requirement के रूप में निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य निविदाकार के पूर्व अनुभव एवं तकनीकी क्षमता का परीक्षण करना है। अतः ऐसे अनिवार्य प्रमाण–पत्र का अप्रामाणित पाया जाना निविदा की पात्रता निर्धारण प्रक्रिया के मूल को प्रभावित करता है। जहाँ अन्य निविदाकार निर्धारित योग्यता को वास्तविक एवं विधिसम्मत दस्तावेजों से स्थापित करते हैं, वहीं अप्रामाणित अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर पात्रता स्थापित करने का प्रयास अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखता है। इससे न केवल अन्य पात्र निविदाकारों के हित प्रभावित हो सकते हैं, बल्कि सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया की शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक समानता एवं संस्थागत विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

अतः समस्त परिस्थितियों तथा इस तथ्य कि कालीकरण स्थायी न होकर दो वर्षों की निश्चित अवधि का है, के समेकित परीक्षण के पश्चात दो वर्षों का कालीकरण प्रमाणित आरोप की गंभीरता के अनुरूप उचित एवं समानुपातिक पाया जाता है।

समस्त तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों, आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पूर्व आदेशों, संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र के सत्यापन, आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–11.03.2026 को पारित न्यायादेश में दिए गए निर्देशों का समेकित एवं स्वतंत्र परीक्षण करने के पश्चात् निम्न निष्कर्ष निकलता है:–

(क) आवेदिका द्वारा निविदा में अपलोड/समर्पित अनुभव प्रमाण–पत्र फर्जी है एवं इसे संबंधित निर्गतकर्त्ता कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया था। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद आवेदिका द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र

की सत्यता स्थापित करने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ख) जाली/फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र अपलोड/समर्पित किए जाने का आरोप उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्यों से प्रमाणित है एवं आवेदिका द्वारा आरोप लिखित रूप से स्वीकार किया गया है।

(ग) उक्त कृत्य बिहार संवेदक निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका 11(क)(ix) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कदाचार की श्रेणी में आता है तथा कंडिका 11(ख)(ii) के अधीन कालीकरण की कार्रवाई को आकर्षित करता हैं।

(घ) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत लगभग डेढ़ वर्ष में अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कालीकरण (Blacklisting) से संबंधित लगभग 49 मामले सुनवाई हेतु आए, जिनमें से 46 मामले जाली/फर्जी दस्तावेज से संबंधित थे। इन 46 मामलों में से 31 मामलों में यह पक्ष लिया गया कि गलत दस्तावेज Cyber Cafe कर्मचारी, ऑपरेटर अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपलोड कर दिया गया था। इन 31 मामलों में भी अपीलीय प्राधिकार द्वारा केवल इस आधार पर समान रूप से राहत नहीं दी गई। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 14 मामलों में दंड कम किया गया, जबकि 17 मामलों में मूल दंड को यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई।

(ङ) समर्पित अनुभव प्रमाण–पत्र CMBD के ITB Clause 24.2 में *Similar Work Experience Certificate* को स्पष्ट रूप से Mandatory Requirement के रूप में निर्धारित किया गया है। इस दस्तावेज को फर्जी समर्पित करने के कारण पूरी निविदा की प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है, जो कि जनहित के कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

(च) प्रमाणित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया की शुचिता एवं निष्पक्षता पर उसके प्रभाव को देखते हुए दो वर्षो के लिए कालीकरण का दंड उचित एवं समानुपातिक है।

(छ) अपीलीय प्राधिकार के दिनांक 27.05.2026 को पारित आदेश द्वारा निविदा Tender ID-142157 के कार्यादेश(LOA) के बिंदु पर अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित पूर्व के निरस्तीकरण आदेश को विलोपित किया जा चुका है।

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका 11(क)(ix) सहपठित कंडिका 11(ख)(ii) के अधीन अभियंता प्रमुख–सह–निबंधन प्राधिकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार द्वारा पारित सकारण आदेश–सह–पठित ज्ञापांक–10038 दिनांक 18.09.2025 जिसके द्वारा आवेदिका Rina Singh निबंधन सं०–1230180 को दो वर्षो के लिए कालीकृत किया गया है, में अपीलीय हस्तक्षेप हेतु कोई पर्याप्त एवं विधिसम्मत आधार नहीं पाया जाता है।

फलतः दो वर्षो के कालीकरण का दंड वर्तमान मामले के तथ्यों एवं प्रमाणित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुरूप उचित एवं समानुपातिक पाया जाता है।

अतः अभियंता प्रमुख–सह–निबंधन प्राधिकार द्वारा पारित सकारण

2318

आदेश–सह–पठित ज्ञापांक–10038 दिनांक 18.09.2025 को यथावत रखते हुए आवेदिका Rina Singh द्वारा प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है।

इस आदेश के साथ वर्तमान अपीलीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

आदेश की प्रति आवेदिका तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

15/10/26
(अभय कुमार सिंह)
सचिव

15/10/26
(अभय कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–273/2025 13226 /पटना, दिनांक– 15/10/26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sharda 15/10/26
अवर सचिव,
प्रभारी प्रशाखा–14
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–273/2025 13226 /पटना, दिनांक– 15/10/26

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sharda 15/10/26
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–14–273/2025 13226 /पटना, दिनांक– 15/10/26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Sharda 15/10/26
सरकार के अवर सचिव

निबंधित

ज्ञापांक:–14/अ0प्र0–14–273/2025 13226 /पटना, दिनांक 15/10/26

प्रतिलिपि: संवेदक Rina Singh (Reg. No.1230180), P.O-Sonbarsa, Dist-Aurangabad, Pincode-824124 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Sharda 15/10/26
सरकार के अवर सचिव

Website

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–14–273/2025 13226 /पटना, दिनांक– 15/10/26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sharda 15/10/26
सरकार के अवर सचिव

6381206/26

बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कालीकृत अपील वाद संख्याः–63 / 2026

	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लु०जे०सी० संख्या-11067/2026 (Shiv Shankar Singh Vs. The State of Bihar & Ors.) में दिनांक 28.07.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में।	
आदेश की तिथि	आदेश	अभ्युक्ति
30.09.2026 06.10.2026	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लु०जे०सी० संख्या-11067/2026 में दिनांक 28.07.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः– *" 3. Petitioner is directed to file an appeal before the competent appellate authority within a period of thirty days from the date of receipt / production of a copy of this order.* *4. In the event such an appeal is preferred within the aforesaid period, the appellate authority shall consider and dispose of the same by passing a reasoned and speaking order in accordance with law, after affording due opportunity of hearing to the petitioner as well as after taking into consideration the comparable orders annexed as Annexure P/9 series. The aforesaid exercise shall be completed within a period of six weeks from the date of filing of such appeal.* *5. With the aforesaid observations and directions, the present writ application stands disposed of.* *6. Pending application(s), if any, shall also stand disposed of."* उपर्युक्त न्यायादेश द्वारा याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने या पेश किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी अपील दायर की जाती है, तो अपीलीय अधिकारी याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने और *Annexure P/9 series* के रूप में संलग्न सदृश आदेशों पर विचार करने के उपरान्त, विधि के अनुसार तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करते हुए अपील का निष्पादन करेंगे। यह प्रक्रिया ऐसी अपील दायर करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी किये जाने का निदेश दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि आवेदक वर्तमान अपीलीय सुनवाई में उपस्थित रहे, एवं उनके द्वारा नया लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। विशेष रूप से विवादित अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता स्थापित करने अथवा संबंधित निर्गतकर्ता कार्यालय से प्राप्त सत्यापन का खंडन करने हेतु कोई नई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई अपितु आवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण–पत्र के अन्य कर्मी द्वारा भूलवश अपलोड किये जाने के कारण रियायत प्रदान करने का	

2316

अनुरोध किया गया।

वर्तमान सुनवाई अपील अभ्यावेदन, मूल विभागीय अभिलेख, संबंधित निविदा दस्तावेज, पूर्व में उद्धृत आदेशों तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों के स्वतंत्र परीक्षण के आधार पर किया जा रहा है।

वर्तमान अपील अभियंता प्रमुख–सह–निबंधन प्राधिकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार द्वारा पारित सकारण आदेश–सह–पठित ज्ञापांक–6664 दिनांक–29.05.2026 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा आवेदक के निबंधन सं०--1230264 को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका 11(क)(ix) सहपठित कंडिका 11(ख)(ii) के अंतर्गत 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया है।

अभिलेख से परिलक्षित होता है कि भवन निर्माण विभाग के अधीन भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित की गई थी। आवेदक द्वारा निविदा में भाग लेते हुए अपेक्षित दस्तावेज अपलोड/समर्पित किए गए।

तकनीकी बीड के मूल्यांकन के क्रम में पाया गया कि आवेदक द्वारा पेय जल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार द्वारा कथित रूप से निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र (Work Experience Certificate) प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता के सत्यापन हेतु संबंधित निर्गतकर्ता कार्यालय से पत्राचार किया गया। जिस क्रम में कार्यपालक अभियंता, पेय जल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार के पत्रांक 336 दिनांक 17.03.2026 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण–पत्र जिसे पत्रांक 1664 दिनांक 16.12.2023 पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार द्वारा निर्गत दिखाया गया है, वह उक्त प्रमंडल द्वारा कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदाकार शिव शंकर सिंह, सानौली, कटिहार द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र को संदेहास्पद मानते हुए उन्हे तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया। तत्पश्चात अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2483 (भ) दिनांक 12.03.2026 द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को अनुशंसा हस्तांतरित की गयी। आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते हुए पत्रांक–3587 दिनांक–20.03.2026 एवं पत्रांक–4603 दिनांक–16.04.2026 द्वारा कारण–पृच्छा की गई। विभाग द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर आवेदक/संवेदक द्वारा दिनांक 20.04.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा गलत अनुभव प्रमाण–पत्र अपलोड किये जाने की बात कही गयी है।

उल्लेखनीय है कि संभी प्रकार के कागजात अपलोड करने के लिए निविदाकार/संवेदक स्वयं जिम्मेदार होते है। निविदाकार/संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है कि निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया था। फलतः अभियंता प्रमुख–सह–निबंधन प्राधिकार द्वारा ज्ञापांक–6664 दिनांक–29.05.2026 के माध्यम से आवेदक को 10

(दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

उक्त आदेश को आवेदक द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या-11067/2026 के माध्यम से चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–28.07.2026 को कालीकृत आदेश संबंधी मामले को अपीलीय प्राधिकार के विचारार्थ रिमांड किया गया। वर्तमान आदेश उक्त न्यायादेश के अनुपालन में पारित किया जा रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान पुनः सुनवाई में आवेदक उपस्थित हुए तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। तथापि, आवेदक द्वारा ऐसा कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे विवादित अनुभव प्रमाण–पत्र के विरूद्ध प्राप्त प्रतिवेदन का खंडन किया जा सके। वर्तमान अपील में मुख्यतः यह विचारणीय है कि–

(क) क्या विवादित अनुभव प्रमाण–पत्र अप्रमाणिक/जाली पाया जाना अभिलेखीय सामग्री से स्थापित होता है।

(ख) क्या उक्त कृत्य बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के अंतर्गत कालीकरण की कार्रवाई को आकर्षित करता है।

(ग) क्या अन्य मामलों में प्रदान की गई रियायत के आधार पर आवेदक समान रियायत का अधिकारी है।

(घ) क्या वर्तमान मामले में दस वर्षों का कालीकरण प्रमाणित कदाचार की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुरूप समानुपातिक है।

अभिलेख से स्थापित है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत अनुभव प्रमाण–पत्र अपलोड किया गया था तथा संबंधित निर्गतकर्ता कार्यालय द्वारा सत्यापन के क्रम में स्पष्ट किया गया कि ऐसा प्रमाण–पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है। वर्त्तमान सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा यह पक्ष भी लिया गया है कि निविदा से संबंधित दस्तावेज उनके अन्य कर्मी के माध्यम से अपलोड किए गए थे। इस तर्क पर विचार किया गया। निविदा में कौन–सा दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है और वह सही एवं प्रामाणिक है अथवा नहीं, इसकी जिम्मेदारी निविदाकार की है। अन्य माध्यम से दस्तावेज अपलोड कराना आवेदक द्वारा अपनी सुविधा के लिए अपनाई गई व्यवस्था थी। मात्र इस आधार पर आवेदक अपने Bid में प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते।

फर्जी प्रमाण–पत्र समर्पित करने के कारण निविदा की प्रक्रिया अवैध तथा दोषपूर्ण हो जाती है, जो कि जनहित के कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका 11(क)(ix) जाली/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने से संबंधित कदाचार को समाहित करती है तथा कंडिका 11(ख)(ii) के अधीन ऐसे कृत्य के लिए कालीकरण की कार्रवाई की जा सकती है।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण

2314

विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2483 (भ) दिनांक 12.03.2026 द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को अनुशंसा हस्तांतरित की गयी है। आवेदक को दिए गए अवसरों, दस्तावेज की प्रामाणिकता स्थापित करने वाली किसी विश्वसनीय सामग्री के अभाव में तथा उक्त प्रमाण–पत्र की अनिवार्य प्रकृति के संयुक्त परीक्षण से यह पाया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध आरोप अभिलेखीय सामग्री से प्रमाणित है और नियमावली के अंतर्गत कालीकरण की कार्रवाई को आकर्षित करता है।

वर्त्तमान सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा पूर्व के सदृश्य मामलों का उल्लेख करते हुए रियायत प्रदान करने का अनुरोध किया गया। उक्त परीक्षण सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–11067/2026 के अंतर्गत पारित आदेश, सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या– 5036/2026(अन्य सदृश्य मामला) में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश, तथा Lucknow Kshetriya Gramin Bank & Anr Vs. Rajendra Singh में पारित न्यायादेश के आलोक में किया गया है। Lucknow Kshetriya Gramin Bank & Anr Vs. Rajendra Singh में पारित न्यायादेश में प्रतिपादित सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि आरोप प्रमाणित पाए जाने की स्थिति में दंड की प्रकृति एवं मात्रा का निर्धारण मूलतः सक्षम विभागीय प्राधिकार के अधिकार–क्षेत्र का विषय है। साथ ही, किसी अन्य व्यक्ति को कम दंड दिए जाने के आधार पर parity का दावा मात्र आरोपों की सामान्य समानता के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए संबंधित व्यक्ति एवं कम दंड प्राप्त व्यक्ति का co-delinquent होना तथा दोनों के बीच आरोप की प्रकृति के साथ–साथ subsequent conduct में भी complete parity होना आवश्यक है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय Lucknow Kshetriya Gramin Bank & Anr Vs. Rajendra Singh में पारित न्यायादेश के कंडिका 17 में माननीय न्यायालय द्वारा दंड के तुलना को निम्नवत् स्पष्ट किया गया है:– "It is made clear that such a comparison is permissible only when the other employee(s) who is given lighter punishment was co-delinquent. Such a comparison is not permissible by citing the cases of other employees, as precedents, in all together different departmental enquiries."

वर्तमान मामले में आवेदक तथा पूर्व में उद्धृत अन्य संवेदकों के मामले अलग–अलग निविदाओं एवं स्वतंत्र कार्यवाहियों से संबंधित है। उक्त संवेदक वर्तमान आवेदक के साथ किसी एक संयुक्त कार्यवाही के co-delinquents नहीं हैं। फलतः Lucknow Kshetriya Gramin Bank में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार उन स्वतंत्र मामलों में दिए गए कम दंड अथवा रियायत को वर्तमान मामले में स्वतः बाध्यकारी precedent के रूप में लागू नहीं किया जा सकता हैं।

समीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि पूर्व के कुछ मामलों में रियायत प्रदान किए जाने के पश्चात फर्जी/गलत दस्तावेज अपलोड किए जाने के मामलों में संबंधित संवेदकों द्वारा यह स्पष्टीकरण दिए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है कि साइबर कैफे अथवा अन्य माध्यम से दस्तावेज गलती से अपलोड हो गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत लगभग डेढ़ वर्ष में अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कालीकरण (Blacklisting) से संबंधित लगभग 49 मामले सुनवाई हेतु आए, जिनमें से 46 मामले जाली/फर्जी दस्तावेज से संबंधित थे। यह संख्या दर्शाती है कि निविदा प्रक्रिया में गलत अथवा अप्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के मामले गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में अत्यधिक उदार दृष्टिकोण अपनाए जाने से निविदा प्रक्रिया में आवश्यक अनुशासन, पारदर्शिता एवं दस्तावेजों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

इन 46 मामलों में से 31 मामलों में यह पक्ष लिया गया कि गलत दस्तावेज Cyber Cafe कर्मचारी, ऑपरेटर अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपलोड कर दिया गया था। इन 31 मामलों में भी अपीलीय प्राधिकार द्वारा केवल इस आधार पर समान रूप से राहत नहीं दी गई। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 14 मामलों में दंड कम किया गया, जबकि 17 मामलों में 02 वर्ष कालीकरण के मूल दंड को यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई। अर्थात ऐसे मामलों में राहत दिए जाने की अपेक्षा दंड बरकरार रखने वाले मामलों की संख्या अधिक रही है।

अतः पूर्व मामलों के आँकड़ों से भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता हैं कि Cyber Cafe अथवा अन्य व्यक्ति का आधार लेने वाले संवेदकों को सामान्यतः राहत दी गई है। इसके विपरीत, ऐसे मामलों जिनमें अपील निरस्त की गई है उनकी संख्या अधिक है। वर्तमान मामले की गंभीरता एवं प्रकृति को देखते हुए पूर्व मामलों के आधार पर दंड मुक्त करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

जहाँ अन्य निविदाकार निर्धारित योग्यता को वास्तविक एवं विधिसम्मत दस्तावेजों से स्थापित करते हैं, वहीं अप्रामाणित अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर पात्रता स्थापित करने का प्रयास अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखता है। इससे न केवल अन्य पात्र निविदाकारों के हित प्रभावित हो सकते हैं, बल्कि सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया की शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक समानता एवं संस्थागत विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

अग्रेत्तर समीक्षा के क्रम में यह तथ्य सामने आता है कि समान अथवा तुलनीय प्रकृति के आरोपों वाले मामलों में दण्ड की अवधि अपेक्षाकृत कम रखी गई है। अतः वर्तमान मामले में दण्ड की मात्रा निर्धारित करते समय समानुपातिकता (Principle of Proportionality) के साथ–साथ समान परिस्थितियों में दण्ड की समरूपता के सिद्धांत पर विचार किया जाना आवश्यक है। यद्यपि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है, तथापि समान प्रकृति के मामलों में दण्ड की मात्रा में अत्यधिक असमानता का भी युक्तिसंगत आधार होना अपेक्षित है।

अभिलेखों के समग्र परीक्षण से यह स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध आरोप की प्रकृति को देखते हुए दण्ड दिया जाना आवश्यक है, किंतु 10 वर्षों की अवधि तक दण्ड का प्रभाव जारी रखना, मामले की समग्र परिस्थितियों तथा तुलनीय मामलों में दिए गए दण्ड के परिप्रेक्ष्य में, अपेक्षाकृत कठोर एवं असमानुपातिक प्रतीत होता है। दण्ड का उद्देश्य केवल दण्डात्मक न होकर अनुशासन बनाए

2312

रखना तथा संबंधित व्यक्ति को अपने आचरण में सुधार का अवसर प्रदान करना भी है।

अतः आरोप की गंभीरता, उपलब्ध अभिलेखों, समान प्रकृति के मामलों में दिए गए दण्ड एवं Proportionality के सिद्धांतों तथा न्यायसंगत संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि मूल दण्ड को पूर्णतः समाप्त करने के स्थान पर उसकी अवधि को युक्तिसंगत सीमा तक कम किया जाए।

फलतः, आवेदक पर पूर्व में अधिरोपित 10 वर्षों की कालावधि के दण्ड को संशोधित करते हुए 2 वर्षों की कालावधि तक सीमित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार संशोधित दण्ड आरोप की प्रकृति के अनुरूप होने के साथ–साथ समानुपातिकता एवं समरूपता के सिद्धांतों के भी अधिक अनुकूल होगा।

समस्त तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों, आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पूर्व आदेशों, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2483 (भ) दिनांक 12.03.2026 द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित अनुशंसा, आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–28.07.2026 को पारित न्यायादेश में दिए गए निर्देशों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलतें हैं:–

(क) आवेदक द्वारा निविदा में अपलोड/समर्पित अनुभव प्रमाण–पत्र फर्जी है एवं इसे संबंधित निर्गतकर्त्ता कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया था। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद आवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता स्थापित करने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ख) जाली/फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र अपलोड/समर्पित किए जाने का आरोप उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्यों से प्रमाणित है एवं संवेदक द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष आरोप स्वीकार किया गया है।

(ग) उक्त कृत्य बिहार संवेदक निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका 11(क)(ix) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कदाचार की श्रेणी में आता है तथा कंडिका 11(ख)(ii) के अधीन कालीकरण की कार्रवाई को आकर्षित करता हैं।

(घ) फर्जी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं वैधानिकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तथा इसके फलस्वरूप जनहित से संबंधित कार्यों के समुचित निष्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(ड) प्रमाणित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए 10 वर्षो के लिए दण्डित किये गये कालीकृत अवधि को समानुपातिक नहीं पाया जाता है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त याचिकाकर्त्ता/संवेदक Shiv Shankar, (Reg. No. 1230264) से प्राप्त अपील अभ्यावेदन पर समेकित विचार करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 6664 दिनांक 29.05.2026 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षो के लिए की गयी कालीकृत (Blacklist) आदेश में राहत प्रदान करते हुए संबंधित संवेदक के निबंधन

(Reg. No. 1230264) को दिनांक 29.05.2026 से 02 (दो) वर्ष के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

इस आदेश के साथ वर्तमान अपीलीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

आदेश की प्रति आवेदक तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

6/K/26
(अभय कुमार सिंह)
सचिव

6/K/26
(अभय कुमार सिंह)
सचिव

7/7

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–06–20/2026 12838 /पटना, दिनांक– 7.10.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/10/26
अवर सचिव,
प्रभारी प्रशाखा–14
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–06–20/2026 12838 /पटना, दिनांक– 7.10.26

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रागीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/10/26
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–06–20/2026 12838 /पटना, दिनांक– 7.10.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

07/10/26
सरकार के अवर सचिव

संबंधित

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–06–20/2026 12838 /पटना, दिनांक– 7.10.26

प्रतिलिपि– संवेदक Shiv Shankar Singh (Regd. No.-1230264), Add:- At Pahlagarh, Post-Sonaili, Dist-Katihar, Pincode- 855114 को सूचनार्थ प्रेषित।

07/10/26
सरकार के अवर सचिव

Website

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–06–20/2026 12838 /पटना, दिनांक– 7.10.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/10/26
सरकार के अवर सचिव